नवभारत टाइम्स

माइक्रोब्रुवरीज की बीयर का टेस्ट बिगाड़ सकता है FSSAI का नया रूल

स्मिता बलराम |

बेंगलुरु]बीयर में यीस्ट (खमीर) की मात्रा सीमित करने वाले एक नए नियम से देश में 170 से अधिक माइक्रोब्रुवरीज को नुकसान हो सकता है। ...

इकनॉमिक टाइम्स | Updated:Feb 19, 2019, 09:00AM IST

[स्मिता बलराम | बेंगलुरु]

बीयर में यीस्ट (खमीर) की मात्रा सीमित करने वाले एक नए नियम से देश में 170 से अधिक माइक्रोब्रुवरीज को नुकसान हो सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) की ओर से जारी यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। माइक्रोब्रुवरीज और क्राफ्ट बीयर बनाने वालों को यीस्ट के इस निर्धारित स्तर से परेशानी होगी क्योंकि उनकी बीयर में अधिक यीस्ट से एक अलग टेस्ट मिलता है। इस नियम के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए माइक्रोब्रुवरी मालिक और क्राफ्ट बीयर बनाने वाले इस सप्ताह दिल्ली में FSSAI के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे।

माइक्रोब्रुवरी मालिक इससे नाराज हैं कि FSSAI के नोटिफिकेशन में उन्हें एक अलग कैटेगरी नहीं दी गई है। वे FSSAI से इस पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहेंगे कि क्या यीस्ट को क्राफ्ट बीयर बनाने के लिए एक रॉ मैटीरियल के स्थान पर मिलावट करने वाला तत्व माना जा रहा है।

इन फर्मों का कहना है कि FSSAI 'यीस्ट और मोल्ड' की मिलावट को नियंत्रित करना चाहता है, जो सफाई ठीक न होने या खराब स्टोरेज के कारण बीयर में हो सकती है, लेकिन वह बीयर को तैयार करने के प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट और रॉ मैटीरियल के तौर पर यीस्ट पर बंदिश नहीं लगाना चाहता।

बेंगलुरु की आर्बर ब्रुइंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव सिक्का ने कहा, 'FSSAI का नोटिफिकेशन स्पष्ट नहीं है और इससे भ्रम हो सकता है। हम इस वजह से FSSAI को एक ज्ञापन देना चाहते हैं।'

FSSAI के नोटिफिकेशन के अनुसार, रेगुलर बीयर में यीस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ड्रॉट बीयर में 40 कॉलोनी-फॉर्मिंग यूनिट (CFU) तक यीस्ट की अनुमति होगी।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में माइक्रोब्रुवरीज ब्रुइंग और स्टॉकिंग के प्रोसेस के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा के मापदंडों को बरकरार रखें।

FSSAI के सीईओ पवन अग्रवाल ने बताया, 'सामान्य बीयर में यीस्ट नहीं होगा। ड्रॉट और माइक्रोब्रुवरी बीयर में यीस्ट की मात्रा 40 CFU तक होगी। ऐसी आशंका है कि इससे अधिक यीस्ट होने से बीयर नुकसान कर सकती है।'

क्राफ्ट ब्रुवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CBAI) इस नियम को लेकर खुश नहीं है। एसोसिएशन ने इस बारे में FSSAI के साथ मीटिंग करने का फैसला किया है।

अग्रवाल ने कहा कि अगर माइक्रोब्रुवरी मालिक मानते हैं कि इसको लेकर तकनीकी मुश्किल है तो वे इस संबंध में एक ज्ञापन दे सकते हैं।

सोइ 7, स्ट्राइकर स्काई बार जैसी माइक्रोब्रुवरीज के मालिक ललित अहलावत ने बताया, 'विदेश में यीस्ट की मात्रा को लेकर कोई बंदिश नहीं है। अगर FSSAI इस मापदंड को लागू करता है तो देश में माइक्रोब्रुवरीज इसे पूरा करने में सफल नहीं होंगी।'